

प्रश्न सं. 4788 परिशिष्ट 'अ'

मध्य प्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
भोपाल, भोपाल

पू.अ. / बी.आर. / 07-5 / 2017 / 8708

भोपाल, दिनांक 04/07/2017

प्रति

1. सभसत आयुक्त,  
नगर प्रशासन विभाग  
मध्य प्रदेश
2. सभसत मुख्य नगरपालिका अधिकारी,  
नगर प्रशासन / परिषद  
मध्य प्रदेश

विषय-सभसत नगरीय विकास के क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के अधिपत्य की सड़कों का नगरीय विभागों को हस्तांतरण।

दिनांक 22.06.2017 को राज्य शासन स्तर पर सम्पन्न हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि नगरीय विभागों के क्षेत्र में स्थित लोक निर्माण विभाग की सड़कों, एल्यूमीनियम सड़कबार्ड, मध्यम एवं ऐसे एम.डी.आर. जो BOT/BOU पद्धति से निर्मित हैं अथवा मध्यमवर्गीय भावों में हैं, को छोड़कर शेष सड़कों का हस्तांतरण नगरीय विभागों को किया जाये। विद्यमान विभाग के समय से इन सड़कों के रखरखाव के लिए वित्तीय संसाधनों की पूर्ति करवाये जाने की आवश्यकता भी प्रारंभ की जा रही है।

सभसत नगरीय विभागों के आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के स्थानीय कार्यपालन यंत्री/अधीनस्थ यंत्रों आदि से इन सड़कों की पूरी ज़मानदारता प्राप्त कर इन सड़कों को नगरीय विभागों के अधिपत्य में लेने की कार्यवाही प्रारंभ करें। इस कार्य का संपूर्ण तत्पर प्रमुख अभियंता, नगरीय विकास एवं विकास, म.प्र. भोपाल द्वारा किया जायेगा।

(निर्देश अधिकारी)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

भोपाल, दिनांक 04/07/2017

पू.अ. / बी.आर. / 07-5 / 2017 / 8709

प्रतिशिरि

1. सचिव, भोपाल शासन, लोक निर्माण विभाग को समझे पत्र क्रमांक 3502/5618/16/19/भो भोपाल, दिनांक 28.06.2017 के निरस्तता में शुभनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर अनुरोध है कि उपरोक्त संकेतों के हस्तांतरण वि.वे जाने के समय में लोक निर्माण विभाग द्वारा समुचित आवेदन/निर्देश भेदनी अधिकारियों को दिये जाने के संकेत में कार्यवाही करें।

सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

Assistant Engineer  
Urban Administration and Development  
M.P. Bhopal

अनुभाष अधिकारी  
मध्य प्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग